पंजाब से बिहार तक बाढ़ और बारिश का कहर

उत्तर रेलवे पर बारिश का असर जम्मू-राजस्थान की कई ट्रेनें रद्द

बिहार में 4 सितंबर तक वज्रपात का अलर्ट

पटना/ चंडीगढ़/ जयपुर/ गाजीपुर/ हिमाचल, 30 अगस्त. उत्तर भारत इन दिनों बाढ़, भारी बारिश और वज्रपात की दोहरी मार झेल रहा है. एक ओर पंजाब में रावी और घग्गर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे अजनाला समेत कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में 4 सितंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम की इस गंभीर स्थिति का असर न केवल जनजीवन पर पड़ा है . हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने एक बार फिर प्रदेश में पहाड़ों एवं बुनियादी ढांचों की नाजुक स्थिति को उजागर किया है. कुल्लू में ब्यास नदी में बड़ी संख्या में लकड़ियों के लट्ठे बह जाने की घटना के बाद चंबा में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जहां भारी बारिश के कारण उफानाई रावी नदी में बड़ी संख्या में पेड़ों के लट्ठे बहकर आ रहे हैं. बल्कि रेल यातायात और खेती पर भी इसका गहरा असर दिखने लगा है. उत्तर रेलवे की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

पंजाब में बारिश और बाढ़ से हालात दिन-ब-दिन गंभीर होते जा रहे हैं. अजनाला निर्वाचन क्षेत्र में कई घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं. शुक्रवार रात तक रावी का पानी हरड़ कलां गांव तक पहुंच गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्यों को तेज कर दिया है.पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, फाजिल्का जैसे आठ जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं.

बीएसएफ ने अमृतसर के गांवों में भेजी राहत सामग्री

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर, त्वरित मानवीय प्रतिक्रिया के तहत, शुक्रवार को अमृतसर के बाढ़ प्रभावित गाँवों में हज़ारों भोजन और राशन के पैकेट हवाई मार्ग से गिराए. इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा राहत शिविर का आयोजन किया. बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने शनिवार को बताया कि बीएसएफ ने अपने हेलीकॉप्टर का उपयोग करके बढ़ते जलस्तर और आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहे फंसे हुए परिवारों तक समय पर राहत पहुँचाना सुनिश्चित किया.

पीड़ित मानवता की सेवा ही भगवान की पूजा है

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रहित पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो : शिवराज सिंह

मैसूर (कर्नाटक)/नई दिल्ली, 30 अगस्त 2025, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज कर्नाटक में मैसूर स्थित श्री सुत्तूर मठ में डॉ. शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी की 110वीं जन्म जयंती के गरिमामय व आत्मीय समारोह में शामिल हुए.

इस अवसर पर भक्तजनों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी के मार्गदर्शन में सुत्तुर मठ सेवा का पर्याय बन गया है. उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही भगवान की पूजा है. शिवराज सिंह ने कहा कि राजनीति तोड़ती है, लेकिन धर्म जोड़ता है, आज धर्म ने हम सभी को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जोड़ दिया हैं, शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी ने आज सबको इकट्ठा कर लिया है, विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि यहां एकजुट होकर आएं हैं, आज अलग-अलग दलों के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला. शिवराज सिंह बोले- देश हित की बात पर सभी इकट्ठे हों. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सचमुच में आज मैं यहां आकार धन्य हो गया. मैं आदि जगद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः.

शिवराज सिंह ने कहा कि हजार साल पहले आदि जगद्गुरु जी ने इस मठ का बीजारोपण किया था, जो आज विशाल वट-वृक्ष बनकर उस देह व प्रेम की छाया दे रहा है, परम पूज्य शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी को भी बारंबार प्रणाम, जिन्होंने सेवा के अद्भुत प्रकल्प प्रारंभ किए, किराए के छात्रावास से प्रारंभ करके आज 400 से ज्यादा संस्थाएं हैं, सरकार से एक मेडिकल कॉलेज मांगों तो हालत खराब हो जाती है लेकिन यहां तो शिक्षण संस्थाओं की बरसात हो गई. सौभाग्य है कि उनकी 110वीं जयंती पर सम्मिलित होने आ पाया. शिवराज सिंह ने कहा कि अद्भुत वातावरण है, यहां लौकिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है. यहां की तो हवाएं भी सेवा का संदेश देती है. मैसूर की घटाएं सेवा का संदेश देती है, वृक्ष और लताएं भी सेवा का संदेश देते हैं.

एमपी में अडानी पावर को मिला ठेका

800 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप बिजली परियोजना का अनुबंध

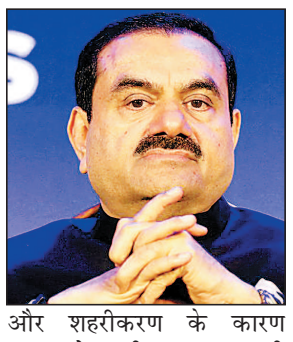

अहमदाबाद, 30 अगस्त (वार्ता). अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रस्तावित 800 मेगावाट के एक नये अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र का अनुबंध मिला है. कंपनी ने खुली बोली में यह ठेका हासिल किया है.

कंपनी ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि उसे इस संयंत्र से बिजली आपूर्ति के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है.

अडानी पावर लिमिटेड अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में 5.838 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति की बोली लगायी थी. कंपनी संयंत्र और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना पर लगभग 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह परियोजना बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण मध्य प्रदेश की लगातार बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में मदद करेगी.

बोली की शर्तों के अनुसार अडानी समूह को यह ठेका 'डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और परिचालन' (डीबीएफओओ) मॉडल के तहत मिला है. यह इकाई अनुबंध शुरू होने की नियत तिथि से 54 महीनों के भीतर चालू हो जायेगी.

अडानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस बी ख्यालिया ने कहा, तेज आर्थिक विकास, विशेष रूप से बेस लोड बिजली के कारण भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए देश की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मज़बूत ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश करना ज़रूरी है. अडानी पावर अपनी क्षमता का विस्तार करके और उन्नत तकनीकों को अपनाकर देश के ऊर्जा भविष्य को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शिक्षादूत की हत्या

बीजापुर 30 अगस्त. छत्तीसगढ़ के बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में पदस्थ शिक्षादूत कल्लू ताती की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। कि कल शाम स्कूल से घर लौटते समय नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था और देर रात वारदात को अंजाम दिया पुलिस घटना स्थल की ओर रवाना हो गई है ।

निर्मम हत्या पर केजरीवाल ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 30 अगस्त. के कालकाजी मंदिर में सेवादार की निर्मम हत्या पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में सुरक्षा स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी है कि अब मंदिरों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं. केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के शासन में अपराधों में वृद्धि हुई है और जनता अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटने की घटना पर भी केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया और मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएँ प्रकट कीं. दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की निर्मम हत्या ने दिल्लीवासियों को झकझोर दिया है. इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरी नाराजगी जताई है.

और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है. केजरीवाल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में अपराधों का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि अब मंदिरों में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं.

नोएडा में देर रात ताबड़तोड़ एनकाउंटर

नोएडा 30 अगस्त. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले नोएडा के चार अलग-अलग थाना क्षेत्र में देर रात गहन चैकिंग के दौरान विभिन्न मामलों के बदमाशों से मुठभेड़, हिस्ट्रीशीटर इनामी और शातिर किस्म के चार बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा सेक्टर 126 में कल देर रात पुलिस द्वारा चैकिंग की जा रही थी जहां मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध पुलिस को देख भागने लगा. जिसका पुलिस द्वारा पीछा कर पकड़ने का प्रयास के दौरान बदमाश ने पुलिस पर हमला किया पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी.

कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल बड़वानी (म.प्र.)

Email ID-centraljailbarwani@gmail.com, Fax No. -07290-222058

क्रमांक-499/निर्वाह/ 2025 बड़वानी, दि. 28/08/2025

ई टेंडरिंग (चतुर्थ) निविदा आमंत्रण सूचना

(वार्षिक ठेका वर्ष 2025)

केन्द्रीय जेल बड़वानी पर पदस्थ अधिकारियों के उपयोग हेतु वाहन अनुबंधित करने के लिए निविदा (चतुर्थ) ई-टेंडरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा की जानकारी वेबसाइट www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	दिनांक व समय	स्थान
01.	प्री बिड मीटिंग	05.09.2025 प्रातः 11.00 बजे	अधीक्षक कार्यालय केन्द्रीय जेल बड़वानी
02.	ऑनलाईन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि निविदा फार्म का मूल्य 05 लाख तक की निविदा हेतु 500/- रुपए तथा 05 लाख से अधिक की निविदा हेतु रुपए 1000/- प्रति फार्म राशि ऑनलाईन महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. शीर्ष 0056, जेलें-800 अन्य प्राप्तियों में जमा की जाएगी। ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10.09.2025 सायं 05.30 बजे तक	वेबसाइट www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
03.	तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज) की गुणवत्ता परीक्षण	11.09.2025 प्रात) 11.00 बजे तक	कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल बड़वानी
04.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	11.09.2025 सायं 05.30 बजे	कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल बड़वानी

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाईट पर देखे। निविदा संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित केन्द्रीय जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी। निविदा के संबंध में किए जाने वाला कोई भी संशोधन संबंधित वेबसाइट पर किया जाएगा।

जी -17984/25

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल, बड़वानी (म.प्र.)

बीएचईएल ने नवाचार स्कोप एमिनेंस पुरस्कार जीता

नई दिल्ली, 30 अगस्त. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने वर्ष 2022-23 के लिए 'अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार' श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस पुरस्कार जीता है.

भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु ने यह पुरस्कार बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के. सदाशिव मूर्ति, और बीएचईएल के निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास), एस.एम. रामनाथन को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में प्रदान किया. ये पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्टता, नवाचार और नेतृत्व को मान्यता प्रदान करते हैं. बीएचईएल के निदेशक मंडल से कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन); तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर); और बानी वर्मा, निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद) भी इस अवसर पर उपस्थित थे.

ट्रम्प को आयात शुल्क पर करारा झटका

अदालत ने कहा राष्ट्रपति ने किया अधिकारों का उल्लंघन

वाशिंगटन, 30 अगस्त. अमेरिका के आर्थिक आपातकाल संबंधी कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शासकीय आदेशों से तमाम देशों के माल पर लगाये गये तरह-तरह के आयात शुल्क को अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें गैरकानूनी करार दिया.

ट्रम्प ने अधिकतर शुल्क अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लगाये थे. विभाजित निर्णय में न्यायालय के सात न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति आदेशों के विरुद्ध और चार ने पक्ष में निर्णय दिया. न्यायालय ने इस्पात और एल्युमीनियम पर लगे शुल्कों को छोड़ कर ट्रम्प द्वारा लगाये गये अन्य शुल्कों के बारे में कहा कि देश में कोई ऐसी आपदा नहीं है कि इन शुल्कों को उचित करार दिया जाये, जिनसे अरबों डॉलर का आयात प्रभावित हो रहा है. अदालत ने आयात शुल्क को 'कानून के विपरीत होने के कारण अमान्य' घोषित किया है. अदालत ने हालांकि आयात शुल्क को अस्थायी रूप से लागू रहने दिया, जिससे प्रशासन को इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का समय मिल गया है. कैलीफोर्निया राज्य के गर्वनर गेविन न्यूसम ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्रम्प को अमेरिका का परम पराजित बताया है. कैलीफोर्निया राज्य ने इन शुल्कों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है. ट्रम्प ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की घोषणा की है. ट्रम्प ने शुल्कों को अपनी कूट नीति का हथियार बना रखा है.

पुतिन ने संरा, अमुको में सुधारों की वकालत की

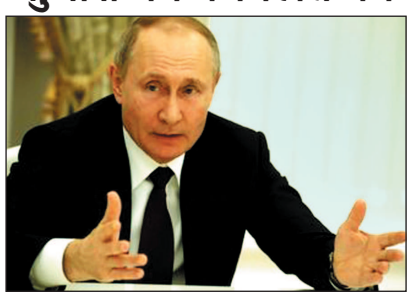

मॉस्को/बीजिंग. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी शहर तियानजिन में आगामी शिघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले वित्त, संस्कृति, शिक्षा, खेल, राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में रूस और चीन के संबंधों की सराहना की, साथ ही उन्होंने दोनों देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसी अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की निरंतर वकालत को दोहराया, ताकि आधुनिक राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके और विकासशील दुनिया के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके. रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी. श्री पुतिन ने चीनी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ को दिए एक हस्तलिखित साक्षात्कार में कहा, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करते हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने अधिकार को पूरी तरह से बहाल कर सके और आधुनिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके.

Name Change

I Piyush Chhirolia S/O, Rajesh Chhirolia R/o Govind Ganj, Near Townhall, Datia M.P. 475661 have changed my name to Piyush Chhiroliya for all purposes

सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फोलियो संख्या GR-81838 के अंतर्गत प्रमाणपत्र संख्या 3117459 और विशिष्ट संख्या 448830066 -448830260 अंकित मूल्य 02/- प्रति शेयर वाले 195 इक्विटी शेयर, जो लालचंद लहेजा (मृतक) और प्रकाश लहेजा के नाम पर थे, खो गए हैं या गुम हो गए हैं और अधोहस्ताक्षरी ने उक्त शेयरों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कंपनी से आवेदन किया है। उक्त शेयरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा हो, तो कृपया इस तिथि से एक माह के भीतर हमारे रजिस्ट्रार, केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 को लिखें, अन्यथा कंपनी डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाही करेगी।

प्रकाश लालचंद लहेजा,
दावेदार का नाम

दिनांक: 31.08.2025
स्थान: नागदा

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	81739843	संपत्ति के बदले ऋण	20.08.2025	4,78,328.62/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. कैलाश एकाडिया 2. रीना एकाडिया

संपत्ति का पता: प्लॉट संख्या 188, मकान संख्या 142/1, कुल क्षेत्रफल 840 वर्ग फुट, पी.एच. 51 पर स्थित, का पूरा टुकड़ा और पार्सल। ग्रामः हिंगोरिया धांदू, तहसीलः जावरा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457226 में सर्वेक्षण संख्या 66 की आबादी भूमि पर , और इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः रमेश पुत्र बगदीराम का मकान, पश्चिमः सड़क, उत्तरः रायसिंह पुत्र कारू का मकान, दक्षिणः सड़क

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	105097969	होम लोन	04.08.2025	6,13,590.12/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. कमल बाबूलालजी 2. राजू भाई

संपत्ति का पता: मकान पंजीकरण संख्या 76 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 17 X 23-391 वर्ग फुट है, भूमि सर्वेक्षण संख्या 398, पी.एच.एन.ओ. 51, ग्राम एवं ग्राम पंचायतः बेदावन, तहसील नागदा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई हैः उत्तरः राधेश्याम का मकान, दक्षिणः रोड, पूर्वः बद्रीलाल का मकान, पश्चिमः मायाराम का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	46175215	संपत्ति के बदले ऋण	08.08.2025	4,29,390.74/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. राकेश मेवाड़ा 2. शर्मिला मेवाड़ा

संपत्ति का पता: अचल संपत्ति का वह पूरा भाग (आवासीय प्लॉट/मकान), जिसका माप 45 X 30 = 1350 वर्ग फीट है, जो सर्वे/आबादी खसरा संख्या-82 में शामिल है, जो गांव तिल्याखेड़ी, तहसील- कालापीपल, पी.एच. पर स्थित है। संख्या- 70, जिलाः शाजापुर, मध्य प्रदेश, और इसकी सीमाएँः पूर्वः स्वयं, पश्चिमः सड़क, उत्तरः पप्पू सिंह का मकान, दक्षिणः सुभाष का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	60777698	होम लोन	20.08.2025	4,79,253.25/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. सरदार सिंह 2. सायर बाई 3. मांगेलाल सरदार

संपत्ति का पता: मकान संख्या 37 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफलः 2580 वर्ग फीट या 239.692 वर्ग मीटर, आबादी सर्वे क्रमांक 198/2, ph नंबर 51/61, वार्ड क्रमांक 19, ग्राम मिजार्पुर, ग्राम पंचायत गुनावद, तहसील और जिला-धार, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई हैः उत्तरः नरसिंह दास का घर, दक्षिणः तूफान सिंह का घर, पूर्वः प्रधानमंत्री रोड, पश्चिमः तूफान सिंह का खेत

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 31.08.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, द्वितीय तल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र। सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

जबकि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने मुंबई मुख्यालय के माध्यम से निम्नलिखित उधारकताओं/गारंटरों/ बंधककताओं को नोटिस जारी किया है जिन्होंने वीएचएफसीएल से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और उक्त सुविधाएँ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बन गई हैं। ये नोटिस उन्हें प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर जारी किए गए थे, हालाँकि ये नोटिस तामील नहीं हुए हैं और इसलिए उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ता का नाम, सह-उधारकर्ता और ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि और राशि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
जगदीश शर्मा (आवेदक), श्री बलराम शर्मा (सह-उधारकर्ता), श्रीमती सरोज शर्मा (सह-उधारकर्ता), LP0000000150370	20-मई-25 रु.1546382/- 13-मई-25 को उस पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित	मकान/प्लॉट, मकान/प्लॉट संख्या 895, कुंदन नगर, ग्राम अहिरखेड़ी, वार्ड संख्या 79, जोन संख्या 14, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट और 55.76 वर्ग मीटर। उत्तर- मोतीलाल ठाकुर का प्लॉट संख्या 894, दक्षिण- प्लॉट संख्या 896, पूर्व- मोहन चौरसिया का मकान, पश्चिम- रोड।
किशोर (आवेदक), श्रीमती रेखा (सह-उधारकर्ता), HL0000000082953	20-मई-25 रु. 1279178/- 13-मई-25 को उस पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित	संपत्ति, मकान/भूमि, प.ह.न. 46 पुराना 25, वार्ड संख्या 07, हरिसेठ की बाड़ी (खंडेलवाल का प्लॉट), खरगोन, तहसील एवं जिला खरगोन, (मध्य प्रदेश) 451001 में स्थित है। कुल क्षेत्रफलः पूर्व पश्चिम 40 फीट, उत्तर दक्षिण 20 फीट, कुल क्षेत्रफलः 800 वर्ग फीट, 74.35 वर्ग फीट। क्राम जेतपुर, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, 451001 में स्थित, इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट है। उत्तर- उसी सर्वे संख्या 60/1/2 की शेष भूमि, दक्षिण- लोकेश की भूमि, पूर्व- संतोष माली की भूमि, पश्चिम- आम सड़क।
कपिल परमार (आवेदक), श्री प्रतापचंद परमार (सह-उधारकर्ता), श्रीमती प्रमिला परमार (सह-उधारकर्ता) HL0000000120088	20-मई-25 रु. 1862921/- 13-मई-25 को उस पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित	मकान मु.पा. संख्या 166-ई, वार्ड संख्या 02, चंदन नगर कॉलोनी (गली), ग्राम सिरपुर, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश)-452005 में स्थित है, कुल क्षेत्रफलः 600 वर्ग फुट (55.75 वर्ग मीटर) और उस पर निर्माण कार्य। उत्तर- मकान संख्या 167-ई, दक्षिण-मकान संख्या 165-ई, पूर्व- सड़क, पश्चिम- अन्य भूखंड।
मनोज (आवेदक), श्री टीना प्रजापत (सह-उधारकर्ता), LP0000000091538	20-मई-25, रु. 1885852/- 13-मई-25 को उस पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित	मकान संख्या 454, राज नगर, वार्ड संख्या 05, सिरपुर, जिला। इंदौर, मध्य प्रदेश-, 452006, कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट (55.76 वर्ग मीटर) उत्तर- प्लाट संख्या 455, दक्षिण-प्लाट संख्या 453, पूर्व-रोड, पश्चिम-स्ट्रीट
अकिला खान (आवेदक), श्री आरिफ खान (सह-उधारकर्ता), श्री यासीन खान (सह-उधारकर्ता), श्री अर्जुन पाटिल (गारंटर) MHL000000169149	20-मई-25, रू. 842494/- 13-मई-25 को उस पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित	मकान संख्या 39, घर संख्या 50, मांग पंजी संख्या 05, ग्राम धभिया, तहसील खालवा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। कुल क्षेत्रफलः 3534 वर्ग फुट, मध्य प्रदेश 450117 उत्तर- मुख्य सड़क, दक्षिण सड़क, पूर्व- ललित का मकान, पश्चिम- सड़क
योगेश पाटीदार (आवेदक), श्री गणेश.(सह-उधारकर्ता), श्रीमती रजनी (सह-उधारकर्ता), HL0000000051626 LP0000000150555	22 मई 2025 रु. 845483/- और रु. 526430/- 13 मई 2025 को अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित	खुली भूमि, ग्राम चौ, ग्राम पंचायत चौ, फोन नं. 17, सर्वे संख्या 402/1, 21*7 वर्ग फुट क्षेत्रफल, ग्राम चौ, ब्लॉक 1, महेश्वर, तहसील महेश्वर एवं जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, 451221 में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1575 वर्ग फुट है। सर्वे संख्या